

Uttar Pradesh State University (Formerly Kanpur University, Kanpur, 208024)
www.csjmu.ac.in

## **Code of Conduct for Students**

E-mail: registrar@csjmu.ac.in registrarcsjmuknp@gmail.com **2** :0512-2580044

**2** =:0512-2582251



### छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

(पूर्ववती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर) (Formerly Known as Kanpur University, Kanpur-208024)

### **Code of Conduct for Students**

### Ordinance/अध्यादेश

### Chapter - 1

### **DISCIPLINARY RULES & REGULATIONS (General Instructions)**

- 1. The University Proctorial Board (UPB), which is the disciplinary authority for the students of the University, has been formed to ensure that discipline is maintained in the University campus and its surrounding areas.
- 2. Students must abide by the rules and regulations framed by the University. The University authority may take disciplinary action if any student violates the University rules and regulations. Students are advised to adhere to the rules and regulations of the University and discharge their responsibilities as a student with diligence, fidelity and honor so that harmony is maintained in the campus.
- 3. The following are the Rules and Regulations to be generally followed by the students. However, the UPB is at its discretion to add to and/or delete any existing one, depending on the nature and need of the day. It is expected that a student shall,

#### अध्याय-1

### अनुशासन नियम और विनियम (सामान्य निर्देश)

- 1. यूनिवर्सिटी प्रॉक्टोरियल बोर्ड (यूपीबी), जो विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण है, का गठन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि विश्वविद्यालय परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में अनुशासन बनाए रखा जाए।
- 2. छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन करना अनिवार्य है। यदि कोई छात्र/छात्रा विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों का उल्लंघन करता/करती है तो विश्वविद्यालय प्राधिकरण द्वारा उसके विरुद्ध/अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। छात्रों से अपेक्षा है कि वे विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों का पालन करें और एक छात्र के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को परिश्रम, निष्ठा और सम्मान के साथ निभाएं तािक परिसर में सद्भाव बना रहे।
- 3. छात्रों द्वारा सामान्यतया अनुकर्णीय अपेक्षित नियम और विनियम जिन्हें यूपीबी के विवेकाधीन समय की आवश्यकता के अनुरूप संशोधित (नये नियम और विनियम निर्मित करना अथवा पुराने नियम और विनियम समाप्त करना) किये जा सकते है।

छात्रों द्वारा सामान्यतया अनुकर्णीय अपेक्षित नियम और विनियम निम्नानूसार हैं-

1

2



Uttar Pradesh State University (Formerly Kanpur University, Kanpur, 208024)
www.csjmu.ac.in

# **Code of Conduct for Students**

E-mail: registrar@csjmu.ac.in registrarcsjmuknp@gmail.com **≅** ⊒:0512-2580044





### छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

(पूर्ववती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर) (Formerly Known as Kanpur University, Kanpur-208024)

2.4	Wear identity cards inside the campus and also when attending any programme and
3.1	representing the University outside the campus.
- 170	परिसर के अन्दर और परिसर के बाहर किसी कार्यक्रम में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर
	पहचान पत्र पहनें।
3.2	Compulsorily read notices/circulars displayed on the University notice boards. But, the
	ignorance of not reading any notice/circular displayed shall not be accepted as an
	excuse for failing to comply with the directions contained in it.
1	विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नोटिस/परिपत्र पढ़ना अनिवार्य है। परन्तु प्रदर्शित किसी
	नोटिस / परिपत्र को न पढ़ने की अज्ञानता को उनसे निहित निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के
	बहाने के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3.3	Not entertain visitors/ Accommodating unauthorized guest or other person in hostel
	without prior permission of warden in the hostel/campus.
	छात्रावास/परिसर में वार्डेन की पूर्व अनुमित के बिना आगंतुकों का प्रवेश/अनाधिकृत अतिथि या अन्य व्यक्ति को छात्रवास में ठहराना वर्जित है।
3.4	Not possess firecrackers of any kind in the hostel and University campus. छात्रावास और विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के पटाखे रखना प्रतिबन्धित है।
3.4	
3.5	Not smear colored powder and splash colored water in the guise of festivals and
0.0	functions on or during any other occasion in the hostel or University campus. छात्रावास या विश्वविद्यालय परिसर में या किसी अन्य अवसर के दौरान त्योहारों और समारोहों की आड
3	में रंगीन पाउडर और रंग डालना निषेध है।
	Scribble on the desks or the white board or inside the lift, toilets on the walls,
3.6	windows, trees of the University and hostel is prohibited.
	विश्वविद्यालय और छात्रावास के डेस्क या व्हाइट बोर्ड या लिफ्ट के अन्दर, दीवारों, खिडिकयों, पेडों और
	शौचालयों आदि पर छात्र / छात्राओं द्वारा पोस्टर लगाना / लिखना प्रतिबन्धित हैं।
	Respecting the University property is mandatory. Destroying and/or damaging the
	property is punishable. The cost of any damage, so caused, will be recovered with
3.7	penalty from the students.
	विश्वविद्यालय की संपत्ति का सम्मान करना अनिवार्य है।
	संपत्ति को नष्ट करना और / या नुकसान पहुंचाना दंडनीय है। इस तरह से हुई किसी भी क्षति की
	लागत, दंड के साथ छात्रों से वसूल की जाएगी।
3.8	It is unlawful & prohibited for any person to mutilate any tree, shrub or herbaceous
	plant and remove any identification sign or tag attached to it.
	किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी पेड़, पौधे को काटना और उससे जुड़े किसी भी पहचान चिह्न या
	टैग को हटाना अवैधानिक व प्रतिबंधित है।

2





Uttar Pradesh State University (Formerly Kanpur University, Kanpur, 208024)
www.csjmu.ac.in

# **Code of Conduct for Students**

E-mail: registrar@csjmu.ac.in registrarcsjmuknp@gmail.com ☎ ⊒:0512-2580044

☎ 월:0512-2582251



### छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

(पूर्ववती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर) (Formerly Known as Kanpur University, Kanpur-208024)

	(Formerly known as kanpur Oniversity, kanpur-208024)
3.9	Without the permission of the Director/HoD/ Incharge: a. Not convene any kind of meeting in the campus or b. Collect any sort of fund or c. Circulate/display any kind of notice among students on white boards/notice boards d. It is prohibited to send the information or report to press or broadcasting agencies and placement companies without the permission and approval of the HoD/ incharge. निदेशक / विभागाध्यक्ष / प्रभारी की अनुमित के बिनाः a. परिसर में किसी भी प्रकार की बैठक आयोजित करना या b. किसी प्रकार की निधि एकत्र करना या c. व्हाइट बोर्ड / नोटिस बोर्ड पर किसी भी प्रकार की सूची प्रसारित / प्रदर्शित करना d. इसके अतिरिक्त कोई भी सूचना या रिपोर्ट प्रेस या प्रसारण एजेंसियों और प्लेसमेंट कंपनियों को भेजना प्रतिबंधित है।
3.10	a. Parking the vehicle in the allotted place is compulsory. b. It is also prohibited that no vehicle will be allowed to enter the University academic area. Students coming by two wheelers have to compulsorily wear helmets. Vehicles found parked in unauthorized places shall be impounded. The impounded vehicle, will be charged of fine as per UP Transport rules & regulations. a. वाहन को आवंटित स्थान पर पार्क करना अनिवार्य है। b. यह भी प्रतिबन्धित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के शैक्षिक परिसर में किसी भी वाहन को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। दुपहिया वाहन से आने वाले छात्रों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अनाधिकृत स्थानों पर पार्क किए गए वाहनों को ज़ब्त किया जाएगा। जब्त किये जाने के बाद उ०प्र०— परिवहन के नियमों के अंतर्गत अर्थदण्ड निर्धारित किया जायेगा।
3.11	Conduct himself/herself in such a way as to bring recognition to self and to the University while attending department functions. विश्वविद्यालय / विभाग के समारोहों में भाग लेते समय, स्वयं की एवं विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा / गरिमा का ध्यान रखना आवश्यक है।
3.12	Shouting or demonstrating which might disturb the classes; is prohibited. चिल्लाना या प्रदर्शन करना जो कक्षाओं को बाधित कर सकता है; प्रतिबंधित है।
3.13	Driving of vehicles on lawns; crossing the boundary walls, fencing; damaging the gardens, flowers etc. spoiling the landscape of the campus is prohibited and punishable; लॉन में वाहन चलाना; चारदीवारी को पार करना, बाड़ लगाना; बगीचों, फूलों आदि को नुकसान पहुंचाना, परिसर के परिदृश्य को खराब करना निषेधित एवं दण्डनीय है।

REGISTRAR C.S.J.M. UNIVERSITY KANPUR





Uttar Pradesh State University (Formerly Kanpur University, Kanpur, 208024)
www.csjmu.ac.in

## **Code of Conduct for Students**

E-mail: registrar@csjmu.ac.in registrarcsjmuknp@gmail.com ☎ 🖃 :0512-2580044

**≅** =:0512-2582251



## छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

(पूर्ववती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर) (Formerly Known as Kanpur University, Kanpur-208024)

Refusing or ignoring the Hon'ble Vice Chancellor, Registrar, Director, Heads of Department, University Proctorial Board's and University Officers' summons of any
kind;
माननीय कुलपति, कुलसचिव, निदेशक, विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय प्रॉक्टोरियल बोर्ड और विश्वविद्यालय के अधिकारियों के किसी भी प्रकार के सम्मन को अस्वीकार या अनदेखा करना;
Disclosing one's identity when asked to do so by a faculty member or an employee of
the Institute who is authorized to ask for such identity is compulsory. संस्थान के किसी संकाय सदस्य या कर्मचारी द्वारा पूछे जाने पर स्वयं की पहचान का खुलासा करना अनिवार्य है।
It is expected and compulsory to do the proper behavior while on educational tour or
excursion. शैक्षिक दौरे या भ्रमण के दौरान उचित सामाजिक व्यवहार करना अपेक्षित है तथा इन विनियमों का पालन करना अनिवार्य है।
lt is compulsory to follow the security and safety rules notified by the University. विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित सुरक्षा और सुरक्षा नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य है।
Any other offence violating norms established by any other policy/policies of the
University is prohibited. विश्वविद्यालय की किसी अन्य नीति/नीतियों द्वारा स्थापित मानदंडों का उल्लंघन करने वाला कोई अन्य कृत्य/कार्य करना प्रतिबन्धित है।

### 4. Action process taken by the University/Department/Authority:

- A. As mentioned above in rule no. 3, indiscipline found should first be investigated by the concerned Department disciplinary committee.
- **B.** Detailed investigation report along with suggestions and recommendations for action should be submitted to the proctorial board.
- Mentioned above in rule no. 3, a warning letter will be given for the first time for violation of the above points prescribed by the university administration.
- If it is violated again for the second time, in such a situation a suspension of 15 days and a final warning letter will be issued and;
- If the involvement is found again for the third time, then the rustication will be done after the permission from the competent authorities (By the VC or the person nominated by the VC).
- **F.** There will be prohibition on admission to any course in the campus, no provision of refund of fees and all facilities of the university will be prohibited.





Uttar Pradesh State University (Formerly Kanpur University, Kanpur, 208024)
www.csjmu.ac.in

## **Code of Conduct for Students**

E-mail : registrar@csjmu.ac.in registrarcsjmuknp@gmail.com ☎ ⊒:0512-2580044

☎ 월:0512-2582251



### छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

(पूर्ववती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर) (Formerly Known as Kanpur University, Kanpur-208024)

### 4. विश्वविद्यालय / विभाग / प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की प्रक्रियाः

- A. उपरोक्त नियम 3 में वर्णित, किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पाये जाने पर संबंधित विभाग की अनुशासन समिति द्वारा जांच-पड़ताल की जायेगी।
- B. अनुशासन समिति की विस्तृत जांच रिपोर्ट कार्यवाही हेतु सुझावों और अनुशंसा के साथ कुलानुशासक मण्डल को प्रस्तृत की जायेगी।
- नियम 3 में वर्णित नियमों / विनियमों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर पहली बार चेतावनी पत्र दिया
- दूसरी बार उल्लंघन का दोषी पाये जाने की स्थिति में 15 दिन का निलंबन एवं अंतिम चेतावनी पत्र दिया जायेगा और
- तीसरी बार पुनः संलिप्तता पाये जाने पर सक्षम अधिकारियों (कुलपित या कुलपित द्वारा अधिकृत) की अनुमित से निष्कासन किया जायेगा ।
- F. यह भी प्रतिबन्धित किया जाता है कि निष्कासन के उपरांत परिसर में किसी भी पाठयक्रम में प्रवेश, शुल्क वापसी का कोई प्रावधान नहीं होगा एवं विश्वविद्यालय की समस्त सुविधाओं से निषेध किया जायेगा।

REGISTRAR C.S.J.M. UNIVERSITY KANPUR

Charles



Uttar Pradesh State University (Formerly Kanpur University, Kanpur, 208024)
www.csjmu.ac.in

## **Code of Conduct for Students**

E-mail: registrar@csjmu.ac.in registrarcsjmuknp@gmail.com ☎ 🖃 :0512-2580044

**☎ 3**:0512-2582251



5.1

## छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

(पूर्ववती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर) (Formerly Known as Kanpur University, Kanpur-208024)

#### Chapter - 2

### **DISCIPLINARY RULES & REGULATIONS (Serious Indisciplinary Instructions)**

5. The following acts come under serious punishable indisciplinary acts:

#### अध्याय-2

## अनुशासन नियम और विनियम (दंडनीय अनुशासनात्मक निर्देश)

5. निम्नलिखित कार्य गंभीर दंडनीय अनुशासनात्मक कृत्यों के अंतर्गत आते हैं:

Defying the rules and regulations of the University. Defying or ignoring the notices of the Hon'ble Vice Chancellor, University Proctorial Board or other authorities of the University. Destroying the notices of such authorities placed on prescribed notice boards etc.

a. विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों की अवहेलना करना।

b. माननीय कुलपति, विश्वविद्यालय प्रोक्टोरियल बोर्ड या विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के नोटिस की अवहेलना या अनदेखी करना।

c. निर्धारित नोटिस बोर्ड आदि पर लगाए गए ऐसे प्राधिकारियों की सूचनाओं को नष्ट करना।

Violence, vandalism, acting in rage, man-handling, beating or threatening the teachers, officers, employees, guests or fellow students of the University. विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, मेंहमानों या साथी छात्रों को हिंसा, तोड़फोड़, गुस्से में काम करना, हाथापाई करना, पीटना या धमकाना।

Keeping or carrying illicit arms/ ammunitions or explosive material, contraband drugs and objectionable literature in the Campus. Indulging in acts of gambling in the campus.

परिसर में अवैध हथियार / गोला बारूद या विस्फोटक सामग्री, प्रतिबंधित ड्रग्स 'और आपत्तिजनक साहित्य रखना या ले जाना। परिसर में जुए के कृत्यों में लिप्त होना।

Committing forgery, tampering with the Identity Card or University records, impersonation, misusing University property (movable or immovable), documents and records, making false or forged signature of University's officers, teachers etc. जालसाजी करना, पहचान पत्र या विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़, प्रतिरूपण, विश्वविद्यालय की संपत्ति (चल या अचल), दस्तावेजों और अभिलेखों का दुरुपयोग करना, विश्वविद्यालय के

अधिकारियों, शिक्षकों आदि के झूठे या जाली हस्ताक्षर करना।

Furnishing false certificate or false information in any manner to the University. Giving

false statement or producing false or tampered certificate etc.

विश्वविद्यालय को किसी भी प्रकार से गलत प्रमाण पत्र या झूठी सूचना देना। झूठा ब्यान देना या जाली प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना।

100



Uttar Pradesh State University (Formerly Kanpur University, Kanpur, 208024)
www.csjmu.ac.in

# **Code of Conduct for Students**

E-mail: registrar@csjmu.ac.in registrarcsjmuknp@gmail.com ☎ 🖃 :0512-2580044

☎ 🖴:0512-2582251



## छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

(पूर्ववती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर) (Formerly Known as Kanpur University, Kanpur-208024)

5.6	Stealing University's property, books etc. from the Library, equipments from departments. Destroying the library books by tearing off the pages, despoiling the items from gardens, stores or vendors in the University Campus or any type of stealing. विश्वविद्यालय की संपत्ति, विभागों से उपकरण, पुस्तकालय से पुस्तकें आदि की चोरी करना, पन्ने फाड़कर पुस्तकालय की पुस्तकों को नष्ट करना, विश्वविद्यालय परिसर में बगीचों, दुकानों या वेंडरों से वस्तुओं को नष्ट करना या किसी भी प्रकार की चोरी करना।
5.7	Damaging the furniture, burning or destroying the University's property, documents, fixtures, vehicles, etc. फर्नीचर को नुकसान पहुंचाना, विश्वविद्यालय की संपत्ति, दस्तावेजों, फिक्सचर, वाहनों आदि को जलाना या नष्ट करना।
5.8	Illegal "Gherao" or laying siege of teachers, officers and employees without any proper notice to prescribed authorities. Involvement in illegal strikes and agitation. अवैध ''घेराव'' या प्राधिकृत अधिकारियों को बिना किसी उचित सूचना, शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की घेराबंदी करना। अवैध हड़ताल और आंदोलन में संलिप्तता।
5.9	Ragging, harassing new comers (Freshers) (as per UGC norms). रैगिंग, नए आने वालों (फ्रेशर), छात्र / छात्राओं को किसी भी रूप में परेशान करना (यू.जी.सी. के मानक के अनुसार)।
5.10	Indulging in any act leading to polarization on the lines of any political or religious agenda; Arousing communal, caste or regional feelings or creating disharmony among students.  किसी भी राजनीतिक या धार्मिक एजेंडे की तर्ज पर धुव्रीकरण की ओर ले जाने वाले किसी भी कार्य में शामिल होना, सांप्रदायिक जाति या क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काना या छात्रों में वैमनस्य पैदा करना।
5.11	Creating any disturbance to normal classes and examinations in the University or disobeying any rule of the examination. विश्वविद्यालय में सामान्य कक्षाओं और परीक्षा में कोई व्यवधान उत्पन्न करना या परीक्षा के किसी नियम की अवहेलना करना।
5.12	Any other act which disturbs the normalcy or peace of the campus. Indulging in any act of indiscipline or disturbance in various activities of the University or during any function, ceremony, University fest etc., being held in the campus.  a. कोई अन्य कार्य करना जो परिसर की सामान्य स्थिति या शांति को मंग करता है।  b. विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में या परिसर में आयोजित होने वाले किसी समारोह, विश्वविद्यालय उत्सव आदि के दौरान अनुशासनहीनता या अशांति के किसी भी कार्य में लिप्त होना।







Uttar Pradesh State University (Formerly Kanpur University, Kanpur, 208024)
www.csjmu.ac.in

# **Code of Conduct for Students**

E-mail: registrar@csjmu.ac.in registrarcsjmuknp@gmail.com **☎ 3**:0512-2580044

☎ 월:0512-2582251



### छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

(पूर्ववती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर) (Formerly Known as Kanpur University, Kanpur-208024)

5.13	Making false allegations, character assassinations of teachers, officers and employees or indulging in rumor mongering or committing any pranks which cause grievous hurt to anyone. झूठे आरोप लगाना, शिक्षकों, अधिकारियों, और कर्मचारियों के चरित्र हनन या अफवाह फैलाने में शामिल होना या ऐसी कोई शरारत करना जिससे किसी को गंभीर चोट पहुंचे।
5.14	Sexual proposition/advancements of any kind including sexually graphic comments of a body, unwelcome touching, patting, pinching or leering or persistent offensive or sexual jokes and/or vulgar comments.  किसी भी प्रकार का यौन प्रस्ताव, शरीर की यौन ग्राफिक टिप्पणियों, अवांछित स्पर्श, थपथपाना, चुटकी करना या झूठ बोलना या लगातार आपराधिक अथवा आक्रामक, यौन चुटकुले और/या अश्लील टिप्पणियां करना।
5.15	Eve-teasing or disrespectful behavior or any misbehavior with a girl student, woman staff member/visitor. किसी छात्रा, महिला स्टाफ सदस्य/आगंतुक के साथ छेड़खानी या अपमानजनक व्यवहार या कोई दुर्व्यवहार करना।
5.16	Passing any indecent/foul/obscene/intolerable remark on fellow students, teachers, and officers of the University; Using any threatening, abusive, vulgar or lascivious language against any other student, teacher, non-teaching staff, officer, guest etc.; a.विश्वविद्यालय के साथी छात्रों, शिक्षकों और अधिकारियों पर कोई भी अभद्र / असत्य / अश्लील / असहनीय टिप्पणी करना; b. किसी भी अन्य छात्र, शिक्षक, गैर—शिक्षण कर्मचारी, अधिकारी, अतिथि आदि के खिलाफ किसी भी धमकी, अपमानजनक, अश्लील या कामुक भाषा का प्रयोग करना;
5.17	Misusing the University stationery, letter pads or any officers name, seal or stamp; विश्वविद्यालय की स्टेशनरी, लेटर पैड या किसी अधिकारी के नाम, मुहर या मोहर का दुरुपयोग करना;
5.18	Misusing University resources and facilities such as library, software, computers and internet or causing any type of damage to intranet and computer security system of the University.  विश्वविद्यालय के संसाधनों और सुविधाओं जैसे पुस्तकालय, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर और इंटरनेट का दुरुपयोग करना या विश्वविद्यालय के इंट्रानेट और कंप्यूटर सुरक्षा प्रणाली को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाना।
5.19	Harming reputation of the institute or individual (fellow students and institute staff) through social and electronic media. सोशल और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से संस्थान या व्यक्ति (साथी छात्रों और संस्थान के कर्मचारियों) की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना।



REGISTRAR
C.S.J.M. UNIVERSITY
KANPUR



Uttar Pradesh State University (Formerly Kanpur University, Kanpur, 208024)
www.csjmu.ac.in

## **Code of Conduct for Students**

E-mail: registrar@csjmu.ac.in registrarcsjmuknp@gmail.com **≅ =**:0512-2580044

**☎** □ ·0512-2582251



### छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

(पूर्ववती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर) (Formerly Known as Kanpur University, Kanpur-208024)

#### 6. Action process taken by the University/Department/Authority:

- A. As per mentioned above in rule no. 5, any indiscipline found should first be investigated by the concerned Department disciplinary committee.
- **B.** Detailed investigation report along with suggestions and recommendations for action should be submitted to the proctorial board
- As per mentioned above in rule no. 5, involvement in any incident or name coming in the premises will result in suspension with immediate effect.
- After investigation, if found guilty, the admission of the student concerned will be cancelled and the process of expulsion from the university will be done with the permission from the competent authorities (By the VC or the person nominated by the VC).
- E. There will be prohibition on admission to any course in the campus, no provision of refund of fees and all facilities of the university will be prohibited.

### 6. विश्वविद्यालय / विभाग / प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की प्रक्रियाः

- A. नियम 5 के उल्लंघन के अनुसार, किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पाये जाने पर संबंधित विभाग की अनुशासन समिति द्वारा जांच-पडताल की जायेगी।
- B. अनुशासन समिति की विस्तृत जांच रिपोर्ट कार्यवाही हेतु सुझावों और अनुशंसा के साथ कुलानुशासक मण्डल को प्रस्तुत की जायेगी।
- विश्वविद्यालय परिसर में नियम 5 के उल्लंघन के अनुसार में किसी भी घटना में सम्मिलित होने या नाम आने पर तत्काल प्रभाव से संबंधित छात्र / छात्रा का निलंबन किया जायेगा।
- जांच के उपरांत दोषी पाए जाने पर संबंधित छात्र / छात्रा का सक्षम अधिकारियों (कुलपति या कुलपति द्वारा अधिकृत) की अनुमति से प्रवेश निरस्त करते हुये विश्विद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।
- E. निष्कासन के उपरांत परिसर में किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश निषेध, शुल्क वापसी का कोई प्रावधान नहीं एवं विश्वविद्यालय की समस्त सुविधाओं से निषेध किया जायेगा।

Dr. (Anil Kumar Yadav) Registrar

REGISTRAR C.S.J.M. UNIVERSITY KANPUR

